भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5050

सोमवार, 23 मार्च, 2026 / 02, चैत्र, 1948 (शक)

ईपीएफ़ओ के अंतर्गत निष्क्रिय खाते

†5050.श्री बैन्नी बेहननः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत ऑटोमैटिक रिफंड के लिए चिह्नित किए गए कुल निष्क्रिय खातों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान तिथि तक ऐसे निष्क्रिय खातों में पड़ी कुल संचित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त खातों में उपलब्ध राशि पर ब्याज मिलता रहता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त पहल के अंतर्गत रिफंड प्रक्रिया पूरी करने के लिए अनुमानित समय-सीमा, चरणबद्ध लक्ष्य और मासिक वितरण अनुमानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): एक चरणबद्ध तरीके में दावों के ऑटो-इनिशिएशन के लिए कुल 1.33 लाख खातों को चिह्नित किया गया है। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए इन दावों का निपटान किया जाएगा।

(ख): 5.68/- करोड़ रुपये।

(ग): उक्त खातों में उपलब्ध राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है।

(घ): पहले चरण में, बैंक खाते के सक्रिय होने की पुष्टि के पश्चात उन अप्रवर्ती खातों के लिए भुगतान ऑटो-इनिशिएटेड होगा जो आधार और बैंक द्वारा सत्यापित हैं तथा जिनमें 1,000/- रुपये तक उपलब्ध राशि है।
